सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हरियाणा

22 जुलाई, 2009

सं. 8/64/2008–3पीपी.–हरियाणा के राज्यपाल, एतद्द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी नामतः 'संवाद'–एक सोसाइटी, संस्थापित करते हैं जो निम्नानुसार होगी :–

1. संवाद सोसाइटी, एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में एक स्वायत्त निकाय के तौर पर सरकार की प्रचार और विज्ञापन गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने और राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों की सामूहिक संचार अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये संस्थापित की गई है। सोसाइटी का नाम 'संवाद' होगा।

2. सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य राज्य द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को संचार सहायता उपलब्ध करवाना होगा। एक स्वायत्त मल्टीमीडिया संचार एजेन्सी के रूप में यह सोसाइटी न केवल प्रचार कार्य को लचीलापन प्रदान करेगी बल्कि विभिन्न प्रचार गतिविधियों के लिये पेशेवर मानव–शक्ति और संरचनात्मक आवश्यकताओं के लिये भी सुविधायें सृजित करने का अवसर प्रदान करेगी।

3. इस सोसाइटी के पास सृजनात्मक लेखन, विज्ञापन, संपादन, फिल्म–निर्माण, फोटोग्राफी, लेखाचित्र, कला और जन संचार के अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों से प्रतिभाशाली पेशेवरों की टीम होगी।

4. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हरियाणा के संरक्षण में यह सोसाइटी संचार परियोजनाओं के क्षेत्र स्तरीय निष्पादन हेतु विभाग के कार्यालयों/कर्मचारियों की सेवाओं का भी प्रयोग करेगी।

5. अपनी गतिविधियों के लिये, सोसाइटी के पास विभिन्न संचार आवश्यकताओं तथा फिल्म प्रोडक्शन, प्रचार साहित्य और विज्ञापन के प्रकाशन इत्यादि समेत टर्नकी संचार समाधान उपलब्ध करवाने के लिये आन्तरिक सुविधायें होंगी।

6. 'संवाद' सरकार के नियन्त्रण के तहत सरकारी विभागों और संगठनों के विभिन्न विकासात्मक और सामाजिक कार्यक्रमों को पेशेवर संचार सहायता उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त मल्टीमीडिया संचार एजेन्सी होगी।

7. **(क) संरक्षक मण्डल** : सोसाइटी का एक संरक्षक मण्डल होगा जो निम्नानुसार संस्थापित किया गया है :–

1.	मुख्यमंत्री, हरियाणा	:	अध्यक्ष एवं मुख्य संरक्षक
2.	वित्त मंत्री	:	संरक्षक
3.	स्वास्थ्य मंत्री	:	संरक्षक
4.	शिक्षा मंत्री	:	संरक्षक
5.	मंत्री/राज्यमंत्री/मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिव (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग का प्रभारी)	:	संरक्षक

सोसाइटी अपने संरक्षक मण्डल की देख–रेख व मार्गदर्शन के तहत कार्य करेगी। शासकीय मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयों की सूचना संरक्षक मण्डल की वार्षिक बैठक में दी जायेगी। संरक्षक मण्डल के पास शासकीय मण्डल के किसी भी निर्णय के खण्डन/प्रतिनिषेध करने का अधिकार होगा। यदि संरक्षक मण्डल कोई निदेश–पत्र, नीति–निर्णय या दिशा–निर्देश बनाता है तो सोसाइटी को इनका पालन करना होगा।

(ख) शासकीय मण्डल : सोसाइटी का शासकीय मण्डल निम्नानुसार संस्थापित किया गया है :–

1.	मन्त्री, यदि स्वतन्त्र प्रभार है/राज्य मंत्री/मुख्य संसदीय सचिव (सूचना एवं जन सम्पर्क	अध्यक्ष

विभाग की देखरेख करने वाला)	
2. मीडिया सलाहकार, मुख्यमंत्री	सदस्य
3. सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4. सचिव, विकास एवं पंचायत विभाग	सदस्य
5. सचिव, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
6. सचिव, कृषि विभाग	सदस्य
7. सचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
8. सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	सदस्य
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	सदस्य
10. अतिरिक्त निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	सदस्य सचिव

अध्यक्ष, सरकार या सरकार के अधीन किसी संगठन के किसी अन्य अधिकारी या पेशेवरों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हैं।

(ग) कार्यकारी समिति : सोसाइटी की कार्यकारी समिति निम्नानुसार संस्थापित की गई है :–

1. मन्त्री /राज्य मंत्री/मुख्य संसदीय सचिव/ संसदीय सचिव (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग का प्रभारी)	अध्यक्ष
2. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3. अतिरिक्त निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	सदस्य
4. परियोजना निदेशक, फिल्म एवं संस्कृति	सदस्य
5. संयुक्त निदेशक (प्रैस)	सदस्य
6. वित्त विभाग का नामांकित अधिकारी (अवर सचिव के पद से नीचे न हो)	सदस्य
7. संयुक्त निदेशक/प्रभारी अधिकारी (विज्ञापन कार्य की देखरेख करने वाला)	सदस्य सचिव

अध्यक्ष द्वारा कार्यकारी समिति में इस विभाग या अन्य सरकारी विभाग/संगठन के किसी अन्य अधिकारी अथवा पेशेवर को शामिल किया जा सकता है।

(घ) साधारण सभा : सोसाइटी की साधारण सभा में शासकीय मण्डल और कार्यकारी समिति के सदस्य शामिल होंगे और इसमें ऐसे व्यक्ति/संस्थाएं भी शामिल होंगी जिन्होंने शासकीय मण्डल से सदस्यता हासिल की है या जिन्हें इसके द्वारा सदस्यता प्रदान की गई है।

8. सोसाइटी के लक्ष्य एवं उद्देश्य : सोसाइटी के लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नानुसार होंगे :–

1. विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों, नीतियों एवं शुरुआतों को पेशेवर संचार सहायता उपलब्ध करवाना।
2. राज्य के विभिन्न संगठनों के प्रचार, विज्ञापन तथा सामूहिक संचार की आवश्यकताओं में समन्वय स्थापित करना।

3. विज्ञापन से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों को व्यावसायिक ढंग से करना तथा मुद्रण, रेडियो, टेलीविजन और बाह्य क्षेत्रों के लिए विज्ञापन अभियान चलाना।

4. विज्ञापनों/कार्यक्रमों/अभियानों का डिजाइन, प्रकाशन तथा इन्हें जारी करना।

5. प्रदर्शन बैनरों, सार्वजनिक/निजी टी.वी. चैनलों, रेडियो चैनलों, वैबसाइट और समाचार पत्रों, समसामयिक मामलों, विज्ञान, कला, साहित्य, खेल, फिल्मों, सांस्कृतिक मामलों इत्यादि के पत्रों के इंटरनेट संस्करणों जैसे इंटरनेट आधारित अन्य माध्यमों समेत, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टैब्लॉयड, स्मारिकाओं, पुस्तकों तथा संस्था–पत्रों जैसे प्रिंट मीडिया प्रकाशनों के माध्यम से अभीष्ट विषय–वस्तु या संदेश का यथासम्भव व्यापक प्रचार सुनिश्चित करना।

6. विभिन्न माध्यमों द्वारा कार्यक्रमों और विज्ञापनों को जारी करने के लिये सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय की ओर से अधिन्यासी एजेंसी के रूप में कार्य करना।

7. फिल्म–निर्माण, सृजनात्मक लेखन, विज्ञापन, सम्पादन, फोटोग्राफी, लेखाचित्र कला तथा इससे सम्बन्धित अन्य क्षेत्रों के लिए नियत कार्य (असाइनमेंट) लेना और ऐसे नियत कार्यों के लिए प्रतिभाशाली पेशेवरों की टीम को लगाना।

8. संचार परियोजनाओं को क्षेत्र स्तर पर निष्पादित करवाने के लिए विभिन्न विभागों के क्षेत्र अधिकारियों की सेवाएं लेना।

9. व्यावसायिक वीडियो प्रोडक्शन, ऑफसैट प्रिंटिंग, कम्प्यूटर आधारित डिजाइनिंग इत्यादि के लिए आन्तरिक सुविधाएं विकसित करना।

10. विभिन्न गतिविधियों के लिए पेशेवरों और अन्य एजेंसियों को कार्य देना।

11. क्षेत्र स्तर पर परिकल्पना से अन्तिम निष्पादन तक टर्नकी संचार समाधानों का प्रयोग करना। टर्नकी समाधानों में ग्राहकों के साथ विस्तृत बैठकें, विषय पर 'संवाद' की सोच का प्रस्तुतीकरण, आदिप्ररूप (प्रोटोइप) सामग्री, फिल्मों के लिए कथा–पट्ट तैयार करना, सामग्री का पूर्व परीक्षण, अभियान की शुरुआत और निष्पादन, प्रभाव की जांच (मॉनीटरिंग) और मूल्यांकन करना शामिल है।

12. ऐसे विभागों, स्थानीय निकायों और अन्य संगठनों की ओर से पत्रिकाओं का प्रकाशन करना, जिनका कार्य इसे सौंपा गया है। यह पत्रिकाओं का प्रकाशन कर सकती है जो पूरे राज्य में सामाजिक मुद्दों, विकासात्मक कार्यक्रमों और नीतियों, रोजगार के अवसरों, शैक्षणिक अवसरों, कैरियर मार्गदर्शन इत्यादि पर सूचना के प्रामाणिक स्रोत के रूप में कार्य करेंगी। यह स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं इत्यादि समेत प्रत्यक्ष ग्राहक बना सकती है।

13. अपने खाते, सेवा, डिजाइनिंग, प्रति–लेखन और मीडिया योजना पेशेवरों के साथ एक विज्ञापन एजेंसी के रूप में कार्य करना।

14. पोस्टर, पुस्तकें, पम्फलैट, ब्रोशर, कैलेण्डर और अन्य प्रचार सामग्री तैयार करना।

15. प्रदर्शनियों और उद्देश्यपरक मण्डपों की परिकल्पना और निष्पादन जैसे नियत कार्य करना।

16. जन माध्यम, जन संचार, जन सम्पर्क, संस्कृति, कला और साहित्य इत्यादि में प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं चलाना और इससे सम्बन्धित संस्थाएं खोलना।

17. राज्य के सरकारी विभागों, उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी समितियों, विश्वविद्यालयों और अन्य स्वायत्त निकायों की कल्याण एवं विकासात्मक गतिविधियों के प्रचार के लिए पूरक प्रकाशन तथा अन्य सामग्री तैयार करना और वितरित करना।

18. प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हेतु राज्य सरकार के साथ–साथ इसकी संस्थाओं के लिए प्रचार सामग्री तैयार करना। सरकार के किसी विभाग अथवा किसी अन्य संगठन की ओर से समाचार पत्र/भित्ति समाचार पत्र प्रकाशित करना।

19. विभिन्न परियोजनाओं के लिये सूचना सहायता अभियान शुरू करना।

20. स्थानीय परिवेश के अनुकूल प्रचार के नवीनतम तरीके खोजना।

21. भारत और इससे बाहर ग्राहक संगठनों के नाम तथा गतिविधियों को प्रचारित करना और लोकप्रिय बनाना।

22. राज्य और केन्द्र के जन सम्पर्क संगठनों और अन्य माध्यमों के साथ प्रचार गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना।

23. बेहतर और प्रभावी मीडिया योजना के लिये शोध गतिविधियों के माध्यम से सूचना सृजित करना।

24. कार्यक्रमों, नीतियों और योजनाओं के बारे में आरम्भिक स्तर पर लोगों से प्रतिपुष्टि एकत्रित करना और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना।

25. विभिन्न समूहों और ग्राहकों के बीच संवाद स्थापित करने के लिये सम्मेलनों, सेमिनारों और यात्राओं इत्यादि का आयोजन करना।

26. प्रचार, विज्ञापन और सामूहिक संचार के क्षेत्र में प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना।

27. सोसाइटी 'न लाभ, न हानि' के आधार पर कार्य करेगी। यदि सोसाइटी को कोई लाभ होता है तो वह राशि सोसाइटी के बुनियादी ढांचे के विकास और पत्रकारों के कल्याण के साथ–साथ सोसाइटी के कार्यबल पर खर्च की जाएगी।

28. ऊपर वर्णित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये सोसाइटी द्वारा वांछनीय/आवश्यक समझे जाने वाले सभी कार्य करना।

29. मीडिया में उपयोगी ज्ञान का प्रचार करना और मीडिया के क्षेत्र में शोध के लिये सुविधायें उपलब्ध करवाना तथा इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सुपात्र व्यक्तियों को भारत या विदेश में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिये अवसर प्रदान करने के साथ–साथ छात्रवृत्तियां/अधिछात्रवृत्तियां अथवा अन्य आर्थिक सहायता प्रदान करना।

30. मीडिया से सम्बन्धित मामलों में इस सोसाइटी के समान प्रयोजनों के लिये संस्थापित या वित्त–पोषित विश्वविद्यालयों, संस्थानों और महाविद्यालयों, निधियों, निकायों, प्राधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करना, सहयोग देना तथा मिलकर कार्य करना।

31. मीडिया तथा अन्य सम्बद्ध विषयों में बेहतर शिक्षा एवं अनुसंधान से सम्बन्धित मामलों में और अधिक अवसर उपलब्ध करवाने में सोसाइटी की गतिविधियों को विस्तार देना।

32. जन सम्पर्क, पत्रकारिता और मीडिया से सम्बन्धित अन्य विषयों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियां स्थापित करना, कायम रखना और चलाना तथा जाति, रंग, धर्म या लिंग का भेदभाव किए बिना विद्यार्थियों को पुस्तकों की आपूर्ति, वृत्तिकाओं, मैडलों और अन्य प्रोत्साहनों समेत अन्य सहायता प्रदान करना।

33. हरियाणा में ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और संस्कृति, साहित्य, संगीत, नाट्य और ललित कलाओं के विकास और प्रोत्साहन के लिये संस्थाओं हेतु अनुदान को प्रोत्साहित करना, स्थापित करना, समर्थन करना, कायम रखना और प्रदान करना।

34. मीडिया, जन संचार, जन सम्पर्क इत्यादि के लिए प्रशिक्षण, विकास एवं अनुसंधान हेतु संस्थाएं स्थापित और विकसित करना।

35. कष्ट या आपातकाल की स्थिति के दौरान जरूरतमंद पत्रकारों, मीडिया से जुड़े लोगों इत्यादि को राहत और सहायता प्रदान करना तथा इस प्रकार के राहत कार्यों में संलग्न संस्थाओं, प्रतिष्ठानों अथवा व्यक्तियों को चन्दा तथा सहायता प्रदान करना।

36. मीडिया से जुड़े अन्य व्यक्तियों या पत्रकारों या उनके निकायों, संस्थाओं, क्लबों, सोसाइटियों या संस्थानों को अनुदान या सहायता राशि प्रदान करना।

37. सोसाइटी की गतिविधियों से सम्बन्धित विषयों पर भारत में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और अन्य सम्बन्धित विभागों तथा प्राधिकरणों के साथ देश तथा विदेश में सम्पर्क स्थापित करना एवं सम्प्रेषित करना।

38. विकासात्मक कार्यक्रमों और सामाजिक मुद्दों के सम्बन्ध में जन–साधारण को शिक्षित करना और जागरुक बनाना तथा शिष्टमण्डल, सर्वेक्षण और/या अध्ययन दल भेजना।

39. सोसाइटी की गतिविधियों को चलाने के लिए निधियों में बढ़ोतरी करना।

40. सोसायटी के लक्ष्यों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए खरीद, दान, उपहार अथवा किसी अन्य अधिकार द्वारा चल और/ या अचल सम्पत्ति अर्जित करना तथा सोसाइटी के हित में इसकी व्यवस्था करना, निपटान करना या बेचना।

41. उपरोक्त सभी लक्ष्यों एवं उद्देश्यों अथवा इनमें से किसी एक की प्राप्ति के लिये सभी प्रासंगिक और सहायक साधनों का प्रयोग करना।

9. हरियाणा के राज्यपाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में तथा इस ढंग से जिससे कि यह संस्थापित की गई है, 'संवाद' को सृजित करते हैं, और सोसाइटी के ज्ञापन तथा सोसाइटी के नियमों और विनियमों/उपनियमों के अर्थों में इसे संचालित करने के लिये अधिकृत करते हैं।

10. हरियाणा के राज्यपाल तत्काल प्रभाव से 'संवाद' को संचालित करने के लिये अपेक्षित सभी कदम उठाने के लिये आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को अधिकृत करते हैं। सोसाइटी जोकि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सं. 130/2007–2008 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार, फर्म एवं समितियां, के पास 12 फरवरी, 2008 को पंजीकृत की गई है, को एतद्द्वारा इसके ज्ञापन और नियमों एवं विनियमों/उपनियमों में दिये अनुसार विभिन्न गतिविधियां चलाने के लिये अनुमोदित करते हैं।

के. के. खण्डेलवाल,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।

चण्डीगढ़:
दिनांक, 22 जुलाई, 2009

DEPARTMENT OF INFORMATION AND PUBLIC RELATIONS HARYANA

The 22nd July, 2009

No. 8/64/2008-3PP. —In exercise of powers conferred, the Governor of Haryana hereby constitutes a society under the Societies Registration Act, 1860, namely 'SAMVAD' – A Society as under:—

1. SAMVAD society is established to coordinate the publicity and advertising activities of the Government, and to cater to the corporate communication requirements of various organizations of the State Government, as an autonomous body in the form of a registered society. The name of the Society will be SAMVAD.

2. The main objective of the Society will be to provide communication support to various developmental activities undertaken by the State. This society as an autonomous multimedia communication agency will not only provide working flexibility to the publicity work but also provide an opportunity to create facilities in terms of professional manpower and infrastructural requirements for various publicity activities.

3. This society will have a team of talented professionals from the field of creative writing , advertising, editing, film-making, photography, graphic art and other allied disciplines of mass communication.

4. This society under the aegis of the Department of Information & Public Relations, Haryana will also use the services of its offices/officials including for field-level execution of the communication projects.

5. For its activities, the society will have in-house facilities for various communication requirements and provide turnkey communication solutions, including film production, production of publicity literature, and advertising etc.

6. SAMVAD would be an autonomous multimedia communication agency set up by the Government of Haryana with a view to providing professional communication support to various developmental and social programmes of government departments and organizations under the control of the government.

21. भारत और इससे बाहर ग्राहक संगठनों के नाम तथा गतिविधियों को प्रचारित करना और लोकप्रिय बनाना।

22. राज्य और केन्द्र के जन सम्पर्क संगठनों और अन्य माध्यमों के साथ प्रचार गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना।

23. बेहतर और प्रभावी मीडिया योजना के लिये शोध गतिविधियों के माध्यम से सूचना सृजित करना।

24. कार्यक्रमों, नीतियों और योजनाओं के बारे में आरम्भिक स्तर पर लोगों से प्रतिपुष्टि एकत्रित करना और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना।

25. विभिन्न समूहों और ग्राहकों के बीच संवाद स्थापित करने के लिये सम्मेलनों, सेमिनारों और यात्राओं इत्यादि का आयोजन करना।

26. प्रचार, विज्ञापन और सामूहिक संचार के क्षेत्र में प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना।

27. सोसाइटी 'न लाभ, न हानि' के आधार पर कार्य करेगी। यदि सोसाइटी को कोई लाभ होता है तो वह राशि सोसाइटी के बुनियादी ढांचे के विकास और पत्रकारों के कल्याण के साथ–साथ सोसाइटी के कार्यबल पर खर्च की जाएगी।

28. ऊपर वर्णित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये सोसाइटी द्वारा वांछनीय/आवश्यक समझे जाने वाले सभी कार्य करना।

29. मीडिया में उपयोगी ज्ञान का प्रचार करना और मीडिया के क्षेत्र में शोध के लिये सुविधायें उपलब्ध करवाना तथा इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सुपात्र व्यक्तियों को भारत या विदेश में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिये अवसर प्रदान करने के साथ–साथ छात्रवृत्तियां/अधिछात्रवृत्तियां अथवा अन्य आर्थिक सहायता प्रदान करना।

30. मीडिया से सम्बन्धित मामलों में इस सोसाइटी के समान प्रयोजनों के लिये संस्थापित या वित्त–पोषित विश्वविद्यालयों, संस्थानों और महाविद्यालयों, निधियों, निकायों, प्राधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करना, सहयोग देना तथा मिलकर कार्य करना।

31. मीडिया तथा अन्य सम्बद्ध विषयों में बेहतर शिक्षा एवं अनुसंधान से सम्बन्धित मामलों में और अधिक अवसर उपलब्ध करवाने में सोसाइटी की गतिविधियों को विस्तार देना।

32. जन सम्पर्क, पत्रकारिता और मीडिया से सम्बन्धित अन्य विषयों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियां स्थापित करना, कायम रखना और चलाना तथा जाति, रंग, धर्म या लिंग का भेदभाव किए बिना विद्यार्थियों को पुस्तकों की आपूर्ति, वृत्तिकाओं, मैडलों और अन्य प्रोत्साहनों समेत अन्य सहायता प्रदान करना।

33. हरियाणा में ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और संस्कृति, साहित्य, संगीत, नाट्य और ललित कलाओं के विकास और प्रोत्साहन के लिये संस्थाओं हेतु अनुदान को प्रोत्साहित करना, स्थापित करना, समर्थन करना, कायम रखना और प्रदान करना।

34. मीडिया, जन संचार, जन सम्पर्क इत्यादि के लिए प्रशिक्षण, विकास एवं अनुसंधान हेतु संस्थाएं स्थापित और विकसित करना।

35. कष्ट या आपातकाल की स्थिति के दौरान जरूरतमंद पत्रकारों, मीडिया से जुड़े लोगों इत्यादि को राहत और सहायता प्रदान करना तथा इस प्रकार के राहत कार्यों में संलग्न संस्थाओं, प्रतिष्ठानों अथवा व्यक्तियों को चन्दा तथा सहायता प्रदान करना।

36. मीडिया से जुड़े अन्य व्यक्तियों या पत्रकारों या उनके निकायों, संस्थाओं, क्लबों, सोसाइटियों या संस्थानों को अनुदान या सहायता राशि प्रदान करना।

37. सोसाइटी की गतिविधियों से सम्बन्धित विषयों पर भारत में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और अन्य सम्बन्धित विभागों तथा प्राधिकरणों के साथ देश तथा विदेश में सम्पर्क स्थापित करना एवं सम्प्रेषित करना।

38. विकासात्मक कार्यक्रमों और सामाजिक मुद्दों के सम्बन्ध में जन–साधारण को शिक्षित करना और जागरुक बनाना तथा शिष्टमण्डल, सर्वेक्षण और/या अध्ययन दल भेजना।

39. सोसाइटी की गतिविधियों को चलाने के लिए निधियों में बढ़ोतरी करना।

40. सोसायटी के लक्ष्यों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए खरीद, दान, उपहार अथवा किसी अन्य अधिकार द्वारा चल और/ या अचल सम्पत्ति अर्जित करना तथा सोसाइटी के हित में इसकी व्यवस्था करना, निपटान करना या बेचना।

41. उपरोक्त सभी लक्ष्यों एवं उद्देश्यों अथवा इनमें से किसी एक की प्राप्ति के लिये सभी प्रासंगिक और सहायक साधनों का प्रयोग करना।

9. हरियाणा के राज्यपाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में तथा इस ढंग से जिससे कि यह संस्थापित की गई है, 'संवाद' को सृजित करते हैं, और सोसाइटी के ज्ञापन तथा सोसाइटी के नियमों और विनियमों/उपनियमों के अर्थों में इसे संचालित करने के लिये अधिकृत करते हैं।

10. हरियाणा के राज्यपाल तत्काल प्रभाव से 'संवाद' को संचालित करने के लिये अपेक्षित सभी कदम उठाने के लिये आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को अधिकृत करते हैं। सोसाइटी जोकि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सं. 130/2007–2008 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार, फर्म एवं समितियां, के पास 12 फरवरी, 2008 को पंजीकृत की गई है, को एतद्द्वारा इसके ज्ञापन और नियमों एवं विनियमों/उपनियमों में दिये अनुसार विभिन्न गतिविधियां चलाने के लिये अनुमोदित करते हैं।

के. के. खण्डेलवाल,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।

चण्डीगढ़,:
दिनांक, 22 जुलाई, 2009

DEPARTMENT OF INFORMATION AND PUBLIC RELATIONS HARYANA

The 22nd July, 2009

No. 8/64/2008-3PP. —In exercise of powers conferred, the Governor of Haryana hereby constitutes a society under the Societies Registration Act, 1860, namely 'SAMVAD' – A Society as under:—

1. SAMVAD society is established to coordinate the publicity and advertising activities of the Government, and to cater to the corporate communication requirements of various organizations of the State Government, as an autonomous body in the form of a registered society. The name of the Society will be SAMVAD.

2. The main objective of the Society will be to provide communication support to various developmental activities undertaken by the State. This society as an autonomous multimedia communication agency will not only provide working flexibility to the publicity work but also provide an opportunity to create facilities in terms of professional manpower and infrastructural requirements for various publicity activities.

3. This society will have a team of talented professionals from the field of creative writing , advertising, editing, film-making, photography, graphic art and other allied disciplines of mass communication.

4. This society under the aegis of the Department of Information & Public Relations, Haryana will also use the services of its offices/officials including for field-level execution of the communication projects.

5. For its activities, the society will have in-house facilities for various communication requirements and provide turnkey communication solutions, including film production, production of publicity literature, and advertising etc.

6. SAMVAD would be an autonomous multimedia communication agency set up by the Government of Haryana with a view to providing professional communication support to various developmental and social programmes of government departments and organizations under the control of the government.

7. (a) **Board of Patrons**: The society will have a Board of Patrons which is constituted as under:—

1. Chief Minister, Haryana	:	President-cum-Chief Patron
2. Finance Minister	:	Patron
3. Health Minister	:	Patron
4. Education Minister	:	Patron
5. Minister/Minister of State/Chief Parliamentary Secretary/ Parliamentary Secretary (in charge of Information & Public Relations Department).	:	Patron

The society will function under the supervision and guidance of its board of patrons. The decisions taken by the governing body will be intimated in the annual meeting of the board of patrons. The board of patrons shall have the right to repeal/veto any decision of the governing body. The society shall carry out directives, policy decisions, guidelines, if any set out by the board of patrons.

(b) **Governing Body**: Governing Body of the society is constituted as under:—

1. Minister, if holding independent Charge/Minister of State/Chief Parliamentary Secretary (looking after the Information & Public Relations Department)	:	Chairman
2. Media Advisor to Chief Minister	:	Member
3. Secretary, Finance Department	:	Member
4. Secretary, Development & Panchayats Department	:	Member
5. Secretary, Health Department	:	Member
6. Secretary, Agriculture Department	:	Member
7. Secretary, Education Department	:	Member
8. Secretary, Information & Public Relations Department	:	Member
9. Director, Information & Public Relations Department	:	Member
10. Additional Director, Information & Public Relations Department	:	Member Secretary

Chairman may associate any other officer of the government or organizations under the government or professionals, either as member of special invitee.

(c) **Executive Body**: Executive Body of the society is constituted as under:—

1. Minister/Minister of State/Chief Parliamentary Secretary/ Parliamentary Secretary (In charge of Information & Public Relations Department).	:	Chairman
2. Director, Information & Public Relations Department.	:	Managing Director-cum-CEO
3. Additional Director, Information &Public Relations Department	:	Member
4. Project Director, Film & Culture	:	Member
5. Joint Director (Press)	:	Member
6. Nominee of Finance Department (not below the rank of Under Secretary)	:	Member

7. Joint Director/Officer-in-charge : Member Secretary
(looking after the work of Advertisement)

In the Executive Body any other officer of the department or other government department/organization or professional may be included by Chairperson.

(d) **General Body**: The general body of the Society shall consist of members of the governing body & executive committee and includes persons/institutions who have acquired/granted membership by the governing body.

8. **Aims and objectives of the society**: The aims and objectives of the society will be as under:—

1. To provide professional communication support to various developmental programmes, policies and initiatives.

2. To co-ordinate the publicity, advertising and corporate communication requirements of various organizations of the State.

3. To take up various advertisement related works on professional lines and to take up advertising campaigns for print, radio, television and outdoors.

4. To take up designs, production and release of advertisements/ programmes/campaigns.

5. To secure the widest possible coverage of the intended content or message through print media publications such as newspapers, magazines, tabloids, souvenirs, books and house journals, including display banners, public/private TV channels, radio-channels, websites and other internet-based mediums such as internet editions of newspapers, journals of current affairs, science, art, literature, sports, films, cultural affairs, etc.

6. To act as assigned agency on behalf of the Directorate of Public Relations for release of programmes and advertisements through various mediums.

7. To take up assignments in the field of film making, creative writing, advertising, editing, photography, graphic art and other allied disciplines and to engage team of talented professionals for such assignments.

8. To use services of the field officers of various department for field level execution of the communication projects.

9. To develop in-house facilities for professional video production, offset printing, computer-aided designing, etc.

10. To outsource various activities to professionals and other agencies.

11. To take up turnkey communication solutions from conceptualization to final execution at field level. The turnkey solutions include detailed meetings with the clients, presentation of 'Samvad' perception of the subject, preparation of prototype material, storyboards for films, pre-testing of materials, launch and execution of the campaign, monitoring and evaluation of impact.

12. To take up publishing of magazines on behalf of various departments, local bodies and other organization whose work is entrusted to it. It may take up publication of magazines which would at as

authentic source of information on social issues development programmes and policies, employment opportunities, educational opportunities, career guidance, etc. all over the State. It may enroll number of direct subscribers including local bodies, Panchyati Raj institutions, etc.

13. To act as an advertising agency with its own account, servicing, designing, copy writing and media planning professionals.

14. To produce posters, books, pamphlets, brochures, calendars and other publicity materials.

15. To take up assignments like conceptualization and execution of exhibitions and thematic pavilions.

16. To take up training programmes, research and development projects in mass media, mass communication, public relations, culture, art and literature, etc., and open institutions in this regard.

17. To produce and distribute the supplementary publications and other materials for the publicity of the welfare and development activities of Government departments, undertakings, boards, corporations, Panchayati Raj institutions, cooperative societies, universities of the State and other autonomous bodies.

18. Production of publicity material of the State Government as well as its institutions for print and electronic media. To publish newspapers/wall newspapers on behalf of any department of the Government or any other organization.

19. To launch information support campaigns to various projects.

20. To devise innovative methods of publicity suitable to the local environment.

21. To publicize and popularise the name and activities of the client organisations in India and abroad.

22. To coordinate the publicity activities with other media and public relations organizations of the State and the Centre.

23. To generate information through research activities for better and effective media planning.

24. To gather feed-back about the programmes, policies and plans from the people at grass root level and to recommend remedial measures whenever required.

25. To organize conferences, seminars and tours etc. to create a dialogue between different groups and the clients.

26. To provide training in the field of publicity, advertising and corporate communication.

27. The Society shall work on 'no profit no loss' basis. In case the Society earns any profit, the amount shall be spent on the infrastructural development of the Society and the welfare of the journalists as well as on the work force of the Society.

28. To perform all such jobs as may be deemed desirable/necessary by the Society to achieve above-mentioned aims and objectives.

29. To disseminate useful knowledge in media and to provide facilities for research in the field of media and with this object in view to assist deserving persons with opportunities for furthering their studies either in India or abroad by awarding scholarships/fellowships or other financial assistance.

30. To co-ordinate, collaborate and co-operate with universities, institutions and colleges, funds, bodies, authorities constituted or funded for purposes similar to this society relating to media matters.

31. To expand activities of the Society in providing further avenues in the matters of advanced studies and research in media and other allied subjects.

32. To establish, maintain and run scholarships and render other kind of aid to students including supply of books, stipends, medals and other incentives for studies in public relations, journalism and other media related subjects without any distinction as to caste, colour, race, creed or sex.

33. To promote, establish, support, maintain or grant aid to institutions for the promotion of culture, literature, music, drama and fine arts, and preservation of historical monuments in Haryana.

34. To establish and develop institutions for the training, development and research on media, mass communication, public relations, etc.

35. To grant relief and assistance to the needy journalists, media persons, etc. during distress or emergencies and to give donations, assistance to institutions, establishments or persons engaged in such relief work.

36. To give grant-in-aid or render assistance to other media persons or journalists or their bodies, associations, clubs and societies or institutions.

37. To communicate with and keep liaison with Central Government, State Governments and any other concerned departments and authorities in India and abroad on subjects relating to activities of the Society.

38. To educate and create awareness about development programmes and social issues amongst general public and to send delegations, survey and/or study teams.

39. To raise funds for carrying out the activities of the Society.

40. To acquire by purchase, donations, gifts or otherwise any rights, interests in any movable and/or immovable properties and to manage, dispose of or sell the same in the interest of the Society and furtherance of its aims and objectives.

41. To do all things as are incidental and conducive to the attainment of the above aims and objectives or any of them.

9. Governor of Haryana is pleased to create "SAMVAD" as a society registered under the Societies Registration Act, 1860 and in the manner as it has been so instituted, and to authorize to make it operational in terms of the Memorandum of the Society and Rules and Regulations/byelaws of the Society.

10. Governor of Haryana is pleased to authorize the Commissioner & Secretary to Government of Haryana, Information & Public Relations Department to take all such steps required to make "SAMVAD" operational with immediate effect. The Society as has been registered on February 12, 2008 with Registrar, Firms & Societies under Societies Registration Act, 1860 *vide* No. 130/2007-2008 is hereby approved to take up various activities as provided in its Memorandum and Rules & Regulations/ byelaws thereunder.

K. K. KHANDELWAL,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Information & Public Relations Department.

Chandigarh :
The 22nd July 2009